

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०(मु०) के कार्यालय पत्र संख्या-2055 दिनांक 11.12.2020 के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम लि०, द्वारा मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद/खण्डपीठ, लखनऊ के समक्ष स्थायी व पैनल अधिवक्ताओं के चयन के लिए हिन्दुस्तान समाचार पत्र व दी हिन्दुस्तान टाइम्स समाचार पत्र में निर्गत विज्ञापन दिनांक 07.02.2019 एवं दैनिक जागरण समाचार पत्र में निर्गत विज्ञापन दिनांक 08.02.2019 तथा जिला न्यायालय हेतु अमर उजाला, हिन्दुस्तान एवं दी हिन्दुस्तान टाइम्स समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 10.09.2019 को पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम लि०, द्वारा निरस्त किया जाता है।

पत्रांक :- 933/पूर्विविनिलि(वा०)/ दिनांक : 11/01/2021
* राष्ट्र हित में बिजली बचाएं *

10/1